(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

No.F.10/1/2018-U3(A)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 08 April, 2019

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-34/2007-U3(A) dated 22.07.2008, on the advice of UGC, had declared Christ College (Autonomous), Bangalore, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'Christ University' for the provisional period of five years. Further, pursuant to the direction of Hon'ble Supreme Court, the name of 'Christ University' has been changed to 'Christ' by deleting the word 'University' from its name. Subsequently, on the advice of UGC, the Central Government, vide its Notification No. 9-34/2007-U3(A)Pt.1 dated 08.06.2018, extended the deemed to be University status to Christ, Bengaluru upto 30.06.2019 with certain conditions.

3. **And whereas,** Christ, Bengaluru, Karnataka submitted an application on 15.02.2018 for starting of an Off-Campus Centre at Ghaziabad, Uttar Pradesh. The application was forwarded to UGC for examination and advice as per the provisions of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

4. **And further whereas,** UGC constituted an Expert Committee for on the spot assessment of the infrastructure and other facilities available at the proposed Off-Campus Centre. Simultaneously, All India Council for Technical Education (AICTE) also constituted an Expert Committee to visit the proposed Off-Campus. Both the Committees visited the Institute on 24.10.2018. The Commission, in its 537th meeting (Item No.2.02) held on 10.12.2018, considered the reports of Expert Committees and recommended that Letter of Intent (LoI) may be issued to the Christ (Deemed to be University), Bengaluru for starting of an Off-Campus Centres at Ghaziabad (Uttar Pradesh) subject to the compliance of the suggestions given by UGC and AICTE Expert Committee.

5. **And whereas,** the Institution deemed to be University submitted compliance report w.r.t. suggestions given by the Expert Committee. After perusal of the Compliance report in the Ministry, it has been noted the Institution deemed to be University has recruited the required number of faculty and created the infrastructure for the proposed Courses, however, the requisite approval of the AICTE and Bar Council of India for Management and Law Courses is yet to be obtained.

6 . **And further whereas,** taking into consideration the enforcement of Model Code of Conduct, the matter was referred to the Election Commission of India (ECI) for their concurrence /approval. Election Commission of India conveyed its NOC subject to the following conditions:

i. Absolutely no publicity in this regard in electronic, print, radio, internet or any other media, in any form whatsoever.
ii. No political functionary shall make any reference in this regard during any public speech or communication to the press or public.
iii. These restrictions on publicity will be applicable to the Central Government as well as the State Governments concerned.
iv. The relevant provisions of Model Code of Conduct issued by the Commission shall be strictly followed.

7 . **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, taking into account the advice of the UGC, hereby permit Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka for starting of an Off-Campus Centre at Ghaziabad, Uttar Pradesh with the following three Departments:

i. Department of Economics
ii. Department of Psychology
iii. Department of Commerce

8. The permission given in Para 7 above is further subject to the following conditions:

i. This declaration shall be effective from the academic year 2019-20 provided that the status of Deemed to be University of Christ, Bengaluru is extended beyond 30.06.2019.
ii. Christ (Deemed to be University), Bengaluru shall start Courses in the fields of Management & Law at the Ghaziabad Campus only after approval of the respective Statutory Councils.
iii. The over-all performance of Ghaziabad Campus shall be monitored by the Commission biennially for six years and subsequently as per the provisions of the existing Regulations and whose directions on management, academic development and improvement shall be binding on the Constituent Institution.
iv. All the earlier conditions that were stipulated in this Ministry's Notifications shall be adhered to by the Institution deemed to be University.
v. The entire moveable and immovable assets/properties as well as the existing manpower of the Ghaziabad Campus shall be registered in the name of Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka.
vi. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed-to-be-University/or of its Off-Campus(es), without prior permission of the UGC.
vii. Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka as well as its Off-Campus(es) shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

viii. The academic programmes offered/to be offered at the Off-Campus(es) of the Institution deemed to be University shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and other Statutory Councils concerned.

ix. The Institution deemed to be University shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes at all its Off-Campuses.

x. All the prescribed norms and procedures of the UGC and other Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka and its Off-Campus(es).

xi. As and when necessary, Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka shall update or revise or modify its Memorandum of Association (MoA) / Rules in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

xii. Christ (Deemed to be University), Bengaluru, Karnataka shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019, as amended from time to time.

(Ishita Roy)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 011-23381721

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Christ (Deemed to be University), Hosur Road, Dharmamaram College Post, Bengaluru – 560029, Karnataka.
3. The Principal Secretary to the Government of Karnataka, Department of Higher Education, Government of Karnataka Secretariat, MS Buildings, Dr. B. R. Ambedkar Veedi, Bangalore-560001. As per the instructions of the ECI, there shall be no publicity in this regard in electronic, print, radio, internet or any other media, in any form whatsoever by the State Government and no political functionary shall make any reference in this regard during any public speech or communication to the press or public.
4. The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Higher Education Department, Government of UP, Lucknow. As per the instructions of the ECI, there shall be no publicity in this regard in electronic, print, radio, internet or any other media, in any form whatsoever by the State Government and no political functionary shall make any reference in this regard during any public speech or communication to the press or public.

5. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
6. The Member Secretary, National Council for Teacher Education (NCTE), Hans Bhawan, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002.
7. The Secretary, Bar Council of India (BCI), 21, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi-110002.
8. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
10. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
11. Guard file / Notification file.

Subrat Pradhan

(Subrat Kumar Pradhan)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel: 23387948

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

स.एफ. 10-1/2018-यू.3(ए)
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
आईसीआर अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 08 अप्रैल, 2019

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय संस्था घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 22.07.2008 की अधिसूचना सं. 9-34/2007-यू.3(ए) के जरिए "क्राईस्ट कॉलेज (स्वायत्त), बंगलौर, कर्नाटक, को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए "क्राईस्ट विश्वविद्यालय" के नाम तथा शैली में समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार "क्राईस्ट विश्वविद्यालय" के नाम से 'विश्वविद्यालय' शब्द का लोप करके "क्राईस्ट" में बदल दिया गया । इसके बाद, केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 08.06.2018 की अधिसूचना सं.9-34/2007-यू.3(ए) पार्ट-1 के जरिए क्राईस्ट, बेंगलुरू को कतिपय शर्तों के अध्यधीन तक समविश्वविद्यालय का दर्जा दिनांक 30.06.2019 बढ़ा दिया गया था।

3. और जबकि, क्राईस्ट, बेंगलुरू, कर्नाटक ने दिनांक 15.02.2018 को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक ऑफ कैम्पस केंद्र शुरू करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। यह आवेदन यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार जांच और सलाह हेतु यूजीसी को अग्रेषित किया था।

4. **और इसके अतिरिक्त जबकि,** यूजीसी ने प्रस्तावित ऑफ कैम्पस केंद्र पर उपलब्ध अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के स्थल मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसके साथ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

ने भी प्रस्तावित ऑफ-कैम्पस के दौरे हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। दोनों समितियों ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2018 को संस्थान का दौरा किया। इस आयोग ने दिनांक 10.12.2018 को आयोजित अपनी 537वीं बैठक (मद सं. 2.02) में विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया और संस्तुति की कि यूजीसी और एआईसीटीई, विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुपालन के अध्यधीन क्राईस्ट (सम विश्वविद्यालय) बेंगलुरू को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में ऑफ कैम्पस केंद्र शुरू करने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जाए।

5. **और जबकि,** समविश्वविद्यालय संस्था ने विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गये सुझावों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मंत्रालय में अनुपालन रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह पाया गया कि सम विश्वविद्यालय संस्था ने प्रस्तावित पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक संकाय संख्या की भर्ती कर ली और अवसंरचना का सृजन कर लिया है तथापि, प्रबंधन और विधि पाठ्यक्रमों हेतु एआईसीटीई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से अपेक्षित अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना है।

6. **और इसके अतिरिक्त जबकि,** मॉडल आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण, इस मामले को सहमति/अनुमोदन हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) भेज दिया था। भारतीय निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अपना अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया था:-

i. इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, रेडियो, इंटरनेट या किसी अन्य मीडिया में किसी भी रूप में कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा।
ii. इस संबंध में कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता/प्रैस या जनता को किसी सार्वजनिक भाषण या संवाद में कोई संदर्भ नहीं देगा।
iii. प्रचार-प्रसार में ये प्रतिबंध केंद्र सरकार के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों पर भी लागू होंगे।
iv. आयोग द्वारा जारी मॉडल आचार संहिता के संगत प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

7. **अब, इसलिए,** केंद्र सरकार एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर क्राईस्ट (समविश्वविद्यालय) बेंगलुरू, कर्नाटक को निम्नलिखित तीन विभागों के साथ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में ऑफ-कैम्पस केंद्र शुरू करने की अनुमति देती है:-

i. अर्थशास्त्र विभाग

ii. मनोविज्ञान विभाग

iii. वाणिज्य विभाग

8. उपर्युक्त पैरा 7 में दी गई अनुमति आगे निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:-

i. यह घोषणा शैक्षिणिक वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगी, बशर्ते यदि क्राईस्ट, बेंगलुरू को सम विश्वविद्यालय दर्जे को 30.06.2019 से आगे बढ़ाया जाता है।

ii. क्राईस्ट (सम विश्वविद्यालय), बेंगलुरू गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश कैम्पस में प्रबंधन और विधि के क्षेत्रों में पाठ्यक्रम केवल संबंधित सांविधिक परिषदों के अनुमोदन के बाद शुरू करेगा।

iii. गाजियाबाद ऑफ-कैम्पस के समग्र कार्य- निष्पादन की निगरानी आयोग द्वारा छह वर्षों तक अर्ध- वार्षिक तौर पर और तदोपरांत मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और प्रबंधन, शैक्षणिक विकास और सुधार के संबंध में इसके निदेश घटक संस्था पर बाध्यकारी होंगे।

iv. इस मंत्रालय में विनिर्धारित की गई सभी पूर्व शर्तों का समविश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाएगा।

v. गाजियाबाद कैम्पस को मौजूदा कार्मिक के साथ-साथ सभी चल और अचल आस्तियों/संपत्तियों को क्राईस्ट (सम विश्वविद्यालय) बेंगलुरू, कर्नाटक के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा।

vi. यूजीसी की पूर्व अनुमति के बगैर समविश्वविद्यालय संस्था/ अथवा इसके ऑफ कैम्पस की निधियों/ राजस्व का कोई विपथन नहीं होगा।

vii. क्राईस्ट (सम विश्वविद्यालय) बेंगलुरू, कर्नाटक के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पस ऐसी किसी गतिविधि में शामिल या लिप्त नहीं होंगे जिसकी प्रकृति वाणिज्यिक या लाभकारी हो।

viii समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ कैम्पस पर प्रस्तावित किए जा रहे/ प्रस्तावित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा विनिर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप होंगे।

ix. समविश्वविद्यालय संस्था, अपने सभी ऑफ कैम्पस में शोध कार्यक्रम और डॉक्टरल एवं नवाचार शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।

x. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को शुरू करने आदि के मामले में यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषद के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाविधि लागू

रहेंगी और क्राईस्ट (समविश्वविद्यालय), बेंगलुरू, कर्नाटक और इसके ऑफ कैम्पसों द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

xi. जैसे और जब भी आवश्यक हो, क्राईस्ट (समविश्वविद्यालय), बेंगलुरू, कर्नाटक समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के अनुसार अपने समझौता ज्ञापन (एमओए)/नियमों को अद्यतन या संशोधित या उपांतरित करेंगी।

xii. क्राईस्ट (समविश्वविद्यालय), बेंगलुरू, कर्नाटक समय- समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में निहित यूजीसी के अनुदेशों का पालन करेगा।

ईशिता रॉय

(ईशिता रॉय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23381721

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली- 110002

<u>प्रतिलिपि अग्रेषितः</u>

1 सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

2. कुलपति, क्राईस्ट (समविश्वविद्यालय), होसुर रोड, धर्मामारम कॉलेज पोस्ट, बेंगलुरू-560029, कर्नाटक

3. प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार सचिवालय, एम.एम. बिल्डिंग, डॉ. बी.आर. अंबेडकर वीडी, बंगलौर-560001. ईसीआई के निर्देशानुसार, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, रेडियो, इंटरनेट या किसी अन्य मीडिया में किसी भी रूप में कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता/प्रैस या जनता को किसी सार्वजनिक भाषण या संवाद में कोई संदर्भ नहीं देगा।

4. प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ उच्चतर शिक्षा विभाग ईसीआई के निर्देशानुसार, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, रेडियो, इंटरनेट या किसी अन्य मीडिया में किसी भी रूप में कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता/प्रैस या जनता को किसी सार्वजनिक भाषण या संवाद में कोई संदर्भ नहीं देगा।

5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंतकुंज, नई दिल्ली -110070

6. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), हंस भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.

7. सचिव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), 21 राउस एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002

8. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

9. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002

10. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस एकक को आवश्यक अनुदेश दें।

11. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्रत प्रधान

(सुब्रत कुमार प्रधान)
उप-सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23387948